

प्रेषक,

अमल कुमार वर्मा,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अध्यक्ष,  
उ०प्र०सहकारी न्यायाधिकरण,  
लखनऊ ।

सहकारिता अनुभाग-1

लखनऊ:दिनांक:26 जुलाई, 2010

विषय:- उ०प्र०सहकारी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों को छठवें वेतनमान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-421/सह०न्या० दिनांक 17-6-2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार अध्यक्ष/ सदस्यों के वेतनमान को दिनांक 1-1-06 से निम्नवत् पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1-

दिनांक 1-1-96 से लागू वर्तमान वेतनमान	दिनांक 1-1-06 से लागू सदृश्य वेतन बैंड(रु०)	पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन (रु०)
रु० 18400-500-22400	वेतन बैंड-4 रु० 37400-67000	10,000
रु० 14300-400-18300	वेतन बैंड-4 रु० 37400-67000	8,700

3- पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन एवं भत्तों का निर्धारण वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- सा-3-59/दस-2009-902/2009 दिनांक 27 फरवरी, 2009 एवं शासनादेश संख्या-सा-3-1443/दस-930/ 1983 दिनांक 15-12-1983 एवं शासनादेश संख्या-सा०-3-2211/दस-930/83 दिनांक 25-11-1988 में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे०आ०-2-यू०ओ०-455/दस-2010 दिनांक 22 जुलाई,2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

अमल कुमार वर्मा  
प्रमुख सचिव ।


2/-

(2)

संख्या-1111 (1)/49-2-10-तददिनांक-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
  - 2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
  - 3- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन ।
  - 4- प्रमुख सचिव, इरला चेक, वेतनपर्ची प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन ।
  - 5- निबन्धक, सहकारी समितिया, उ0प्र0, लखनऊ ।
  - 6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2,
  - 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
  - 8- वित्त(सामान्य) अनुभाग-3
  - 9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

  
(प्रेम नारायण)  
विशेष सचिव ।